

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2631 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 6 / 2022

प्राची पाण्डेय, S.P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 04.07.2022 से 30.12.2022 तक 180 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

(पी.के. अग्रवाल) 2022
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2632 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 4 / 6 / 2022

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. प्राची पाण्डेय, S.P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अभिषेक गौड़)
ओ.एस.डी. (कम्प्यूटर)